स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
26.3.15 उज्जैन कैंप	अपीलांट अधिवक्ता श्री ए.आर. यादव उपस्थित । उन्हें प्रकरण की ग्राह्यता के बिंदु पर सुना गया । यह निगरानी अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के प्र0क 148/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 4–3–15 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 44(2) (तीन) के तहत प्रस्तुत की गई है । 2/ अपीलांट अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया कि अपर आयुक्त ने प्रकरण में विक्रय की अनुमति को अपीलांट के हित में लाभप्रद बताते हुए अनुमति देने में कोई वैधानिक बाधा न होना बताया है लेकिन इसके उपरांत भी प्रकरण कलेक्टर को नियमानुसार आदेश पारित करने के लिए प्रत्यावर्तित किया है जबकि संहिता में हुए संशोधन दिनांक 30.12.11 द्वारा राजस्व अधिकारी को मामला निपटाने के लिए प्रकरण प्रतिप्रेषित करने की शक्तियां नहीं दी गई है । अपीलीय प्राधिकारी को उक्त धारा के तहत अंतिम आदेश पारित करने की शक्तियां प्रदत्त की गई हैं । 3/ आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया । यह प्रकरण भूमि विक्रय की अनुमति से संबंधित है । प्रकरण में कलेक्टर द्वारा इस आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति से इंकार किया है कि भूमि का वास्तविक प्रतिफल रूपये 9.60 लाख होना चाहिए जिसके स्थान पर केवल असिंचित भूमि के मान से प्रतिफल अदा करने का सौदा किया है । इस आदेश के विरूद्ध अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में अपर	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – अपील 637 –दो/15 जिला – उज्जैन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	आयुक्त ने अपने आलोच्य आदेश में तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी की विक्रय की अनुमति की अनुशंसा को दृष्टिगत रखते हुए तथा दोनों पक्षों द्वारा 9.60 लाख रूपये में भूमि के क्रय–विक्रय पर सहमति व्यक्त करने संबंधी तथ्य के प्रकाश में यह पाया है कि प्रकरण में कम प्रतिफल मिलने संबंधित बिंदु का निदान हो जाने के कारण भूमि के विक्रय की अनुमति देने में कोई वैधानिक बाधा नहीं होना माना है और प्रकरण उक्त तथ्यों के प्रकाश में नियमानुसार निराकरण हेतु कलेक्टर को प्रत्यावर्तित किया है । अपर आयुक्त द्वारा जब भूमि विक्रय की अनुमति देना अपीलांट के हित में मान लिया है तब प्रकरण को प्रत्यावर्तित किये जाने का कोई औचित्य नहीं है । वैसे भी संहिता में दिनांक 30.12.11 द्वारा हुए संशोधन के अनुसार अपीलीय प्राधिकारी को प्रकरण प्रत्यावर्तित करने का अधिकार नहीं रह गया है । दर्शित परिस्थिति में इसी स्तर पर अपर आयुक्त का आदेश, जहां तक प्रकरण को प्रत्यावर्तित करने का प्रश्न है उस सीमा तक निरस्त किया जाता है तथा उनके आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए अपीलांट को उसके स्वामित्व की ग्राम रूद्रखेड़ा तहसील महिदपुर स्थित प्रश्नाधीन भूमि सर्वे नं. 17/2 रकबा 1.00 हैक्टर को रिस्पोंडेंट क्र. 1 शहजाद हुसैन पुत्र मोहम्मद युसूफ को विक्रय करने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि रिस्पोंडेंट क्र. 1 (क्रेता) द्वारा अपीलांट को रूपये 9.60 लाख प्रतिफल तथा वर्ष 2014–15 की गाइड लाइन के अनुसार पंजीयन शुल्क अदा किया जाये । विक्रयपत्र का पंजीयन इस आदेश के दिनांक से 2 माह की अवधि में कराना अनिवार्य होगा । अपील तदनुसार निराकृत की जाती है । सदस्य	

अपील 637-II-15

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल केन्द्र ग्वालियर (म0प्र0)

द्वितीय अपील /II/2015

भेरूसिंह पिता रायसिंह जाति भील
निवासी ग्राम रूद्रखेडा, तहसील
महिदपुर, जिला उज्जैन

..... अपीलान्ट

विरूद्ध

1. शहजाद हुसैन पिता मोहम्मद युसूफ नागौरी निवासी नागौरी मोहल्ला महिदपुर जिला उज्जैन
2. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर जिला उज्जैन

.....रिस्पान्डेन्टस

अपर आयुक्त उज्जैन संभाग, उज्जैन के प्रथम अपील प्रकरण कमांक 148/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 04.03.2015 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 (2) (तीन) के अंतर्गत द्वितीय अपील

.....